मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)
मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 100 के अनुपालन हेतु थाना स्तर पर पुलिस अधिकारियों के लिए दिशा–निर्देश

1. प्रस्तावना

The Mental Healthcare Act, 2017 की धारा 100 के अनुसार प्रत्येक थानाध्यक्ष का यह दायित्व है कि वह ऐसे व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे जो मानसिक बीमारी के कारण स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हों या स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों के लिए जोखिम उत्पन्न कर सकते हों। ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका दंडात्मक नहीं, बल्कि सुरक्षा और सहायता प्रदान करने वाली होगी। उल्लेखनीय है कि CWJC No-2805/2026 में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा Bihar Institute of Mental Health & Allied Sciences, कोईलवर, भोजपुर, बिहार के संदर्भ में लिए गए स्वतः संज्ञान एवं पारित आदेश में विभिन्न जिलों से इस संबंध में प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि राज्य के मात्र भोजपुर जिले में इस अधिनियम की धारा–100 का अलग–अलग 04 मामलों में अनुपालन किया गया है। शेष जिलों से भी इसी प्रकार की कार्रवाई अपेक्षित थी, जो नहीं हुई है। ऐसे में यह समीचीन है कि The Mental Healthcare Act, 2017 (मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017) के अध्याय–XIII की धारा–100 में वर्णित मानसिक बिमारी से ग्रस्त व्यक्तियों के संबंध में पुलिस अधिकारी के निर्धारित कर्तव्यों के अनुपालन हेतु एक मार्गदर्शिका (SOP) निर्धारित की जाय।

2. उद्देश्य

- मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्तियों की सुरक्षा एवं उपचार सुनिश्चित करना।
- पुलिस द्वारा मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए संवेदनशीला के साथ मामले को Handle करना एवं संवेदनशील व्यवहार सुनिश्चित करना।
- ऐसे व्यक्तियों को निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान तक शीघ्र पहुँचाना।
- उनके परिवार/अभिभावक का पता लगाना एवं सूचना देना। यदि मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति Homeless हो तो उसके ठीक होने के पश्चात् उसे Shelter Home में रखवाने की व्यवस्था करना।

3. स्थानीय थानाध्यक्ष द्वारा निम्न मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को अपने संरक्षण में लिया जाएगा

- कोई व्यक्ति थाना क्षेत्र में भटकता हुआ मिले या किसी ऐसे व्यक्ति की सूचना किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हो, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा स्वयं की देखभाल करने में असमर्थ हो।
- कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण स्वयं या अन्य के लिए खतरा उत्पन्न कर रहा हो।

4. पुलिस द्वारा उठाए जाने वाले कदम

(i) संरक्षण में लेना

- स्थानीय थानाध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को अपने संरक्षण में (Take into Protection) लेगा।
- इस दौरान अनावश्यक बल का प्रयोग नहीं किया जाएगा।
- महिला होने पर महिला पुलिस की सहायता ली जाएगी और नियमानुकूल कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

(ii) संरक्षण में लेने के कारण की जानकारी देना

- व्यक्ति को (यदि वह समझने की स्थिति में हो) संरक्षण में लेने का कारण बताया जाएगा।
- यदि वह समझने में सक्षम न हो तो उसके नामित प्रतिनिधि/परिजन को उसे संरक्षण में जाने का कारण बताया जाएगा।

(iii) स्वास्थ्य जांच

- ऐसे व्यक्ति को निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान/मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में जांच एवं इलाज हेतु भेजा जाएगा।
- ऐसे स्वास्थ्य जांच हेतु भेजने की कार्रवाई व्यक्ति को संरक्षण में लिए जाने के 24 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से की जाएगी।

(iv) लॉक–अप में रखने पर प्रतिबंध

- किसी भी परिस्थिति में ऐसे व्यक्ति को पुलिस लॉक–अप या जेल में नहीं रखा जाएगा।

(v) चिकित्सीय मूल्यांकन

- ऐसे व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण (Assessment) स्वास्थ्य संस्थान के चिकित्सक द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा।
- यदि ऐसे व्यक्ति की बीमारी साधारण हो और भर्ती योग्य नहीं हो तो, उसे उसके घर पहुंचा दिया जाएगा।
- बीमारी गंभीर होने पर उसे मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती कराया जा सकता है।

(vi) गंभीर मानसिक बीमारी नहीं पाए जाने अथवा गंभीर मानसिक बीमारी पाए जाने और ईलाज हेतु मानसिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती किये जाने तथा इलाजोपरान्त व्यक्ति के स्वस्थ होने पर–

- पुलिस उस व्यक्ति को उसके घर/परिवार तक पहुँचाने में सहायता करेगी।
- यदि व्यक्ति बेघर या लावारिस पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के आवासन एवं देख–रेख के लिए उसे आश्रय गृह (Shelter Home) में रखा जाएगा।
- ऐसे व्यक्ति के संबंध में थाना में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर अनुसंधान किया जाएगा।
- व्यक्ति के विवरण का ऑनलाईन डेटाबेस से मिलान किया जाएगा, परिवार तथा अभिभावक का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा।
- पता लग जाने पर संबंधित परिवार/अभिभावक को सुपूर्द कर दिया जाएगा।

5. मानसिक रोगी से बात करने की सुरक्षित तकनीक

✓ शांत और धीमी आवाज में बात करें
✓ दूरी बनाकर रखें
✓ अचानक हरकत न करें
✓ व्यक्ति को उकसाने वाली भाषा का प्रयोग न करें
✓ भीड़ को दूर रखें

6. पुलिस द्वारा सामान्यतः की जाने वाली गलतियाँ (जिनसे बचना है)

✗ मानसिक रोगी को अपराधी समझना
✗ अनावश्यक बल प्रयोग करना
✗ लॉक–अप में रखना
✗ मेडिकल परीक्षण में देरी करना
✗ परिजनों को सूचना न देना

7. SHO हेतु चेकलिस्ट

थानाध्यक्ष निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे–

✓ ऐसे व्यक्ति के संबंध में थाना दैनिकी में प्रविष्टि अनिवार्य रूप से किया जाना।

✓ व्यक्ति के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना

✓ महिलाओं के मामले में महिला पुलिस की उपस्थिति सुनिश्चित करना

✓ व्यक्ति को अनिवार्य रूप से 24 घंटे के अन्दर अस्पताल भेज कर चिकित्सीय परीक्षण कराना।

✓ परिजनों को अनिवार्य रूप से सूचित करना

✓ चिकित्सीय परीक्षण उपरान्त चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन प्राप्त करना

✓ अभिलेख सुरक्षित रखना

8. अभिलेख संधारण

थाना में निम्न अभिलेख रखा जाएगा–

- संरक्षण में लिए गए व्यक्ति का विवरण
- संरक्षण में लिए जाने का समय एवं स्थान
- स्वास्थ्य संस्थान में भेजने का समय
- चिकित्सीय जांच प्रतिवेदन
- परिवार को सूचना देने का विवरण
- इलाजोपरान्त परिवार के साथ पुनः संयोजित व्यक्तियों का विवरण
- आश्रय गृह (Shelter home) में रखे गए व्यक्तियों का विवरण

9. थानाध्यक्ष द्वारा संरक्षण में लिए गए ऐसे सभी व्यक्तियों (विवरण समेत) की सूचना तत्काल पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी।

10. पर्यवेक्षण

➢ थाना प्रभारी इस SOP में वर्णित प्रावधानों के अनुपालन के लिए उत्तरदायी होंगे।

➢ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) समय–समय पर ऐसे मामलों की समीक्षा करेंगे।

NGO एवं अन्य संस्थाओं से समन्वय

थाना प्रभारी निम्न संस्थाओं से समन्वय स्थापित करेंगे–

- समाज कल्याण विभाग
- जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (DMHP)
- मान्यता प्राप्त NGO/आश्रय गृह
- नगर निकाय / सामाजिक कल्याण संस्थाएँ
- बेघर मानसिक रोगियों के सहायतार्थ आश्रय गृह / पुनर्वास केंद्र

11. मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड को सूचना

यदि किसी व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में भर्ती किया जाता है तो–

- संबंधित स्वास्थ्य संस्थान द्वारा Mental Health Review Board को सूचना दी जाएगी।
- आवश्यकता होने पर पुलिस जांच या पहचान संबंधी सहयोग प्रदान करेगी।

12. प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण

जिला पुलिस अधीक्षक सुनिश्चित करेंगे कि–

- थाना स्तर के पुलिस अधिकारियों को मानसिक स्वास्थ्य कानून एवं संवेदनशील व्यव संबंध में नियमित अंतराल पर संवेदीकृत एवं प्रशिक्षित किया जाय।
- पुलिसकर्मियों को मानसिक रोगियों के साथ व्यवहार संबंधी व्यावहारिक कौशल सिख जाएँ।
- मासिक अपराध गोष्ठी में ऐसे मामलों की समीक्षा की जाय तथा मासिक अपराध समीक्ष प्रतिवेदन के **अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से संबंधित कंडिका में** इसका भी उल्लेख किय जाय।
- जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय मं ऐसे व्यक्तियों के संबंध में एक पंजी संधारित की जाय, जिसमें पुलिस द्वारा संरक्षण में लिए गए ऐसे व्यक्तियों की पूर्ण विवरणी अंकित की जाएगी।

13. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु

- ऐसे मामलों में पुलिस की भूमिका संरक्षणात्मक (Protective) है, दंडात्मक नहीं।
- संबंधित व्यक्ति के मानवाधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाना अनिवार्य है।
- ऐसे व्यक्ति की पहचान समाचार माध्यमों/मिडिया में सार्वजनिक करते वक्त उसके गरिमा का ख्याल रखा जाय।

इस पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

Hari
18/3/26

अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग,
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 17 /व0ना0शा0, दिनांक 19/03/2026

संचिका सं0–02/2026

प्रतिलिपिः–

1. सचिव, गृह विभाग, बिहार सरकार को कृपया सूचनार्थ।
2. निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, बिहार, राजगीर को कृपया सूचनार्थ।
3. पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, बिहार को कृपया सूचनार्थ।
4. सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
5. सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक(रेल सहित), बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ।
6. आयुक्त, निःशक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
7. बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
8. निदेशक, बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं सहबद्ध विज्ञान संस्थान, कोइलवर, भोजपुर (बिहार) को सूचनार्थ।
9. आई0टी0 प्रबंधक, पुलिस मुख्यालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

Hari
18/3/26

अपर पुलिस महानिदेशक, कमजोर वर्ग,
अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना।

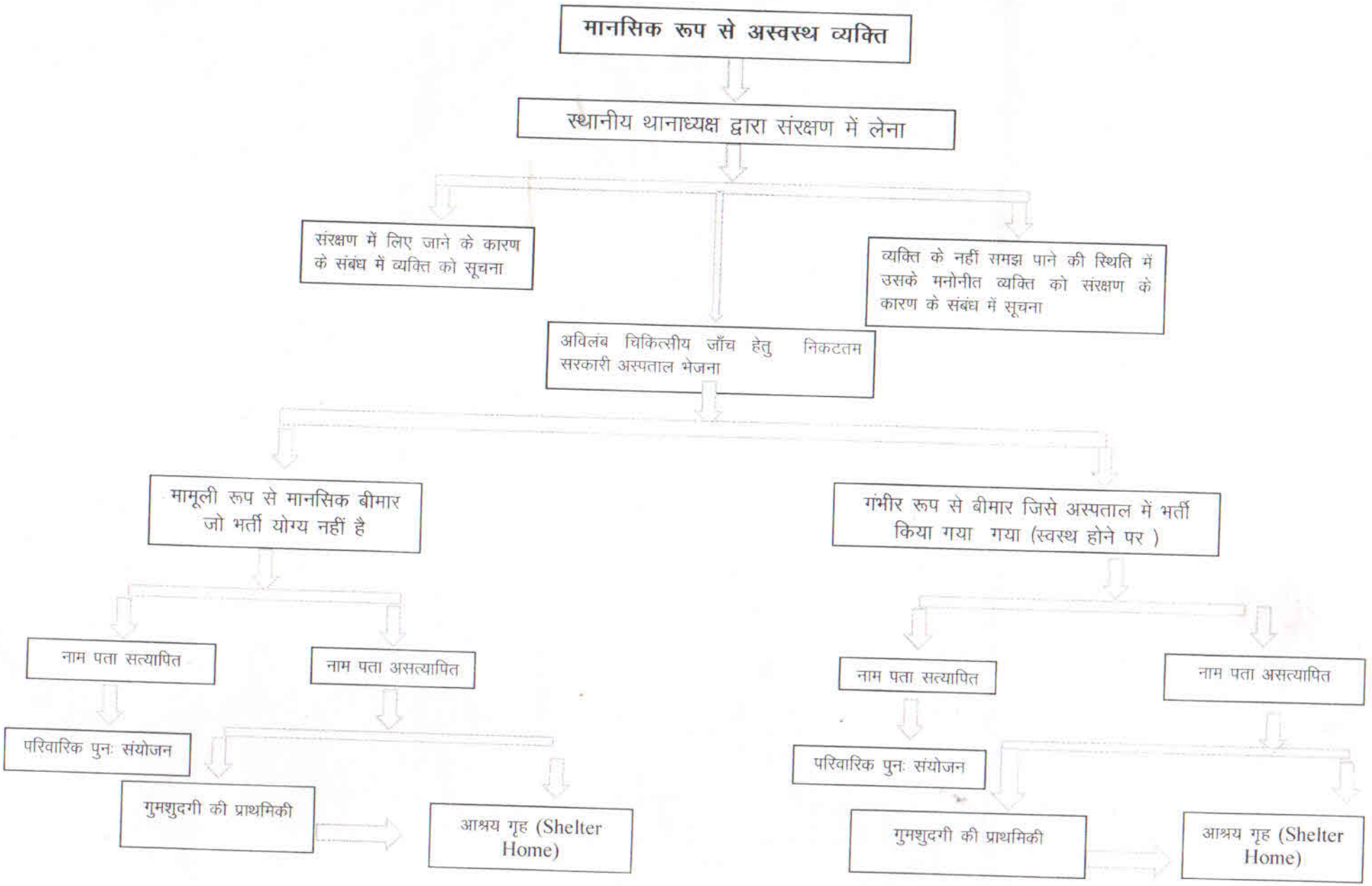
मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति
स्थानीय थानाध्यक्ष द्वारा संरक्षण में लेना
संरक्षण में लिए जाने के कारण के संबंध में व्यक्ति को सूचना
व्यक्ति के नहीं समझ पाने की स्थिति में उसके मनोनीत व्यक्ति को संरक्षण के कारण के संबंध में सूचना
अविलंब चिकित्सीय जाँच हेतु निकटतम सरकारी अस्पताल भेजना
मामूली रूप से मानसिक बीमार जो भर्ती योग्य नहीं है
गंभीर रूप से बीमार जिसे अस्पताल में भर्ती किया गया गया (स्वस्थ होने पर)
नाम पता सत्यापित
नाम पता असत्यापित
नाम पता सत्यापित
नाम पता असत्यापित
परिवारिक पुनः संयोजन
गुमशुदगी की प्राथमिकी
आश्रय गृह (Shelter Home)
परिवारिक पुनः संयोजन
गुमशुदगी की प्राथमिकी
आश्रय गृह (Shelter Home)